HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 5687/2026

Vishvendra Singh S/o Shri Om Prakash, Aged About 23 Years, R/o Village Mahravar, Police Station Kumher, District Deeg, Presently Tenant At Baba P.G., Prem Nagar First, Near Riddhi Siddhi Chauraha, Police Station Shipra Path, District Jaipur.
(At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous 3rd Bail Application No. 6318/2026

Rahul Faujdar S/o Rajveer Singh, Aged About 23 Years, R/o Village Jatoli Thoon, Police Station Deeg, District Deeg (Rajasthan) At Present Tenant At Near Gulab Chaupati, 60 Feet Road, Mahesh Nagar, Police Station Mahesh Nagar, Jaipur (Rajasthan)
(At Present Confined In Central Jail, Jaipur).

----Accused/Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rahul Sinsinwar Mr. Girish Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP with Mr. Gaurav Gupta, AGA Mr. Amitabh vijaywargia

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI
Order

27/04/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विश्वेन्द्र सिंह तथा राहुल फौजदार की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक–पृथक द्वितीय एवं तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना ज्योति नगर जिला जयपुर सिटी (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या

361/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 109(1), 115(2), 126(2), 324(4), 111(2)(बी), 61(2) भारतीय न्याय संहिता में पेश किये गये हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण विश्वेन्द्र सिंह तथा राहुल फौजदार के प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.02.2026 के माध्यम से प्रत्याहरित किए जाने के आधार पर विस्तृत आदेश कर खारिज किए गए हैं तथा प्रार्थी/अभियुक्त राहुल फौजदार का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 02.04.2026 के माध्यम से प्रत्याहरित किए जाने के आधार पर विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 28.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा हत्या करने का प्रयास पुलिस द्वारा नहीं माना गया है। चिकित्सक ने आहतगण के सिर पर आई चोटें प्राणघातक होना नहीं बताया है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक तथा विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान यह तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने सचिन कुमार और सौरभ कुमार के शरीर पर चोटें पहुंचाईं, जिसके कारण सचिन के शरीर पर कुल 6 चोटें आईं जिनमें से 1 चोट सिर पर लगी, उक्त चोट के कारण से सिर में 10 टांके आए तथा प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के द्वारा परिवादी सचिन के हाथ और पैर का घुटना तोड़ दिया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा जो वाट्सएप पर मैसज किए गए थे, वे अत्यंत अशोभनीय थे। आर.ए.एस. की पढ़ाई करने वाले लड़कों के साथ यह जघन्य अपराध कारित किया गया है। आहतगण के

न्यायालय के समक्ष बयान लेखबद्ध होने के पश्चात प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की जमानत पर विचार किया जावे।

मैंने उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 28.12.2025 से अभिरक्षा में चल रहे हैं, उनके विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। चिकित्सक ने आहतगण के शरीर पर आई चोटें प्राणघातक होना नहीं बताया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का विद्यार्थी होना बताया गया है। एक लड़की को लेकर दोनों पक्षों के मध्य विवाद की बात आरोप पत्र से सामने आई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण में 23 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध होने शेष हैं। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. विश्वेन्द्र सिंह पुत्र श्री ओम प्रकाश 2. राहुल फौजदार पुत्र राजवीर सिंह** की ओर से प्रस्तुत क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय दोनों जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु प्रत्येक द्वारा एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI/2-3